

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(राज्य वित्त)

राजस्थान सरकार
वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

प्राक्कथन	iii	
कार्यपालिक सारांश	v	
अध्याय 1		
राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध		
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1
1.3	बजट अनुमान एवं वास्तविक	4
1.4	राज्य के संसाधन	5
1.5	राजस्व प्राप्तियाँ	7
1.6	संसाधनों का उपयोग	17
1.7	व्यय की गुणवत्ता	28
1.8	सरकारी व्यय एवं निवेश का विश्लेषण	32
1.9	परिसम्पत्तियाँ और देयताएं	38
1.10	ऋण का टिकाऊपन	43
1.11	राजकोषीय असंतुलन	45
1.12	निजी जन-सहभागिता के अन्तर्गत राज्य को संसाधन की उपलब्धता	49
1.13	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	50
अध्याय 2		
वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण		
2.1	प्रस्तावना	53
2.2	विनियोग लेखाओं का सारांश	54
2.3	वित्तीय जबाबदेयता एवं बजट प्रबंधन	55
2.4	बजट के व्ययगत होने से बचाने के लिये निधियों का हस्तान्तरण	72
2.5	चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	72
2.6	कोषालयों के निरीक्षण के परिणाम	75
2.7	विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना नवीन सेवाओं पर व्यय	76
2.8	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	77
अध्याय 3		
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग		
3.1	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	79
3.2	लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना	79
3.3	स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	80
3.4	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम	81
3.5	दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी आदि	81
3.6	सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के समक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें	82
3.7	निजी निक्षेप खातें	84
3.8	लघु शीर्ष 800- "अन्य व्यय" तथा "अन्य प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत पुस्तांकन	85
3.9	पुस्तक समायोजन	86
3.10	ब्याज के भुगतान पर अतिरिक्त व्यय	86
3.11	प्राप्तियों एवं व्ययों का अंकमिलान	87
3.12	मुख्य उच्च लेखों के अन्तर्गत बकाया शेष	87
3.13	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का संशोधन नहीं होना	90
3.14	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	90

विषय सूची

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	राज्य की रूपरेखा	93
परिशिष्ट 1.2	भाग अ सरकारी लेखों की संरचना तथा स्वरूप	94
	भाग ब : वित्त लेखों का खाका	95
परिशिष्ट 1.3	भाग अ : राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 एवं एफआरबीएम (संशोधित) अधिनियम, 2011	96
परिशिष्ट 1.4	राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर समय श्रेणी आँकड़ें	97
परिशिष्ट 1.5	वर्ष 2011-12 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	100
परिशिष्ट 1.6	31 मार्च 2012 को राजस्थान सरकार की सारीकृत वित्तीय स्थिति	103
परिशिष्ट 1.7	2011-12 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आँकड़ें	105
परिशिष्ट 1.8	भारत सरकार द्वारा राज्य के कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के सीधे स्थानान्तरण का विवरण-पत्र	108
परिशिष्ट 1.9	वर्ष 2011-12 के दौरान मुख्य एवं मध्यम सिवाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	110
परिशिष्ट 1.10	विभाग द्वारा नियंत्रित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारीकृत वित्तीय विवरण-पत्र	111
परिशिष्ट 1.11	संस्थाओं/संगठनों द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	112
परिशिष्ट 1.12	भाग अ: आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता (पीपीपी) की स्थिति (31 मार्च 2012 तक)- पूर्ण परियोजनायें	114
	भाग ब: आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता (पीपीपी) की स्थिति (31 मार्च 2012 तक)- निष्पादन परियोजनायें	117
परिशिष्ट 1.13	आधारभूत संरचना में निजी जन सहभागिता (पीपीपी) की स्थिति (31 मार्च 2012 को) आयोजनाधीन/प्रक्रियाधीन परियोजनायें	120
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहां बचत प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक साथ ही कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी।	122
परिशिष्ट 2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहां आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 करोड़ साथ ही कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक था।	123
परिशिष्ट 2.3	गत वर्षों के प्रावधान से अधिक आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है।	125
परिशिष्ट 2.4	मामलें जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ।	127
परिशिष्ट 2.5	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहां पुनर्विनियोजन एवं अन्तिम आधिक्य/बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थे)	128
परिशिष्ट 2.6	₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण पत्र	131
परिशिष्ट 2.7	31 मार्च 2012 को ₹ 20 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	132
परिशिष्ट 2.8	एक-मुश्त प्रावधान	134
परिशिष्ट 2.9	वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण (₹ एक करोड़ एवं अधिक का विवरण-पत्र)	138
परिशिष्ट 2.10	व्यय की अधिकता	139
परिशिष्ट 2.11	नवीन सेवाओं के मामले	143
परिशिष्ट 3.1	30 जून 2012 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	147
परिशिष्ट 3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये।	148
परिशिष्ट 3.3	स्वायत्त निकायों के निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	155
परिशिष्ट 3.4	विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र	156
परिशिष्ट 3.5	दुर्विनियोजन, चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहां जून 2012 के अन्त तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी)	157
परिशिष्ट 3.6	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	158
परिशिष्ट 3.7	वर्ष 2011-12 तक लम्बित विरतुत आकरिमिक बिल	159
परिशिष्ट 3.8	वर्ष 2007-12 के दौरान असंचालित रहे निजी निक्षेप खातों का विवरण-पत्र	161
परिशिष्ट 3.9	निजी निक्षेप खातों में ऋणात्मक शेषों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	162
परिशिष्ट 3.10	मुख्य शीर्ष "8658-उच्चत लेखे" के अन्तर्गत बकाया शेष	163
परिशिष्ट 4.1	पदों की पारिभाषिक शब्दावली	164
परिशिष्ट 4.2	संक्षिप्त एवं परिवर्णी शब्द	167